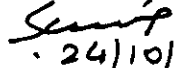


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

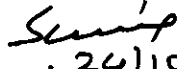
:: शुद्धि पत्र ::

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-18784 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अधिसूचित बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2025 के अंग्रेजी पाठ की कंडिका-1(3) में उल्लिखित **“It shall come into with immediate effect”** के स्थान पर **“It shall come into force with immediate effect”** पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना में शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।


24/10/25
(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था०-04-36 / 2025सा०प्र० 20167 / पटना-15, दिनांक 23.10.25
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग,
वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी०डी० सहित बिहार
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


24/10/25
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था०-04-36 / 2025सा०प्र० 20167 / पटना-15, दिनांक 23.10.25
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय,
पटना के पत्रांक-84824 दिनांक 14.10.2025 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा
आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र
न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/10/25
सरकार के अवर सचिव।